

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 मार्च 2025—फाल्गुन 29, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

क्र. एफ ए 3-02-2017-1-पांच (13) .—मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19, सन् 2017) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-02-2017-1-पांच (42), दिनांक 27 सितम्बर, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

1. अनुक्रमांक 02 और उससे संबंधित प्रतिष्ठियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

2.	श्रीमती विनीता शर्मा	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, इन्दौर.	भोपाल संभाग-एक एवं भोपाल संभाग-दो
----	----------------------	--	--------------------------------------

2. अनुक्रमांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

क्र. एफ ए 3-02-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-02-2017-1-पांच (13), दिनांक 20 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वंदना शर्मा, उपसचिव.

---

---

Bhopal, the 20<sup>th</sup> March 2025

No. FA-3-02-2017-1-V (13).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) read with Rule 109A of Madhya Pradesh Goods and Service Tax Rules, 2017, the State Government, hereby, makes the following amendments in this department Notification No. FA 3-02-2017-1-V (42), dated 27<sup>th</sup> September, 2023, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, In the Table,

1. for serial number 02 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be substituted, namely :—

---

2.	Smt. Vinita Sharma	Joint Commissioner of State Tax, Head Office, Indore	Bhopal Division-01 and Bhopal Division-02
----	--------------------	---	--

---

2. Serial number 13 and the entries relating thereto shall be Omitted;

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VANDNA SHARMA, Dy. Secy.